परिशिष्ट -1

229

निबन्धन सं० पी० टी०—40

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

२ पौष १९०९ (श०)

संख्या ५१ पटना, बुधवार, २३ दिसम्बर १९८७

इस भाग की पृष्ठ संख्या अलग दी गई है ताकि इसको अलग संकलन किया जा सके।

भाग २

बिहार के राज्यपाल तथा विभागाध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, अधिसूचनाएं, नियम आदि

उद्योग विभाग

अधिसूचनाएं

30 मई 1987

जी० एस० आर०—46—भारत-संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते ए बिहार-राज्यपाल बिहार उद्योग सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती-पद्धति तथा सेवा शर्तों को विनियमित रने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :—

भाग 1

सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—यह नियमावली "बिहार उद्योग सेवा संवर्ग नियमावली, 1987" कहलायेगी र शासकीय राजपत्र (गजट) में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

2. परिभाषाएं—जबतक कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध नहीं हो, इस नियमावली में—

(क) "संवर्ग" से अभिप्रेत है सेवा संख्या बल या अलग इकाई के रूप में स्वीकृत सेवा का एक अंग,

(ख) "प्रवर्ग" से अभिप्रेत है संवर्ग के पदों का वेतनमान के अनुसार वर्गीकरण,

(ग) ~~"आयोग" से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग,~~

(घ) "विभाग" से अभिप्रेत है उद्योग विभाग, औद्योगिक विकास समाह एवं लघु ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग विभाग,

(ङ) "विभागीय प्रोन्नति समिति" से अभिप्रेत है कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्गत समय-समय पर यथासंशोधित का रूपभेदित संकल्प सं० 2257, दिनांक 27 नवम्बर, 1976 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुरूप गठित विभागीय प्रोन्नति समिति;

(च) "निदेशालय" से अभिप्रेत है उद्योग निदेशालय और इसके अन्तर्गत तकनीकी विकास निदेशालय तथा हस्तकरघा एवं रेशम पालन निदेशालय" और उद्योग विभाग (औद्योगिक विकास विभाग एवं लघु ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग विभाग) में सरकार द्वारा सृजित किया जानेवाला कोई अन्य निदेशालय भी होगा;

(छ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है बिहार-राज्यपाल;

(ज) "सरकार" से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार;

(झ) "सेवा का सदस्य" से अभिप्रेत है इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन बिहार उद्योग सेवा में नियुक्त व्यक्ति ;

(ट) "परिवीक्ष्यमान" से अभिप्रेत है परिवीक्षा पर नियुक्त पदाधिकारी,

(ठ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इस नियमावली से उपलग्न अनुसूची;

(ड) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है समय-समय पर यथासंशोधित संविधान (अनुसूचित जाति उपान्तरण) आदेश, 1950 के भाग 2 में विनिर्दिष्ट जाति;

(ढ) "अनुसूचित जनजाति' से अभिप्रेत है समय-समय पर यथासंशोधित संविधान (अनुसूचित जन-जाति उपान्तरण) आदेश, 1950 के भाग-2 में विनिर्दिष्ट जन-जाति'

(ण) "वर्ष" से अभिप्रेत है पंचांग कैलेंडर वर्ष।

3. सेवा का गठन, संवर्ग एवं पदों का वर्गीकरण—(क) शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से बिहार उद्योग सेवा नामक सेवा गठित की जायेगी और असैनिक सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली, 1955 के नियम 18 के प्रयोजनार्थ एक राज्य सेवा होगी।

(ख) सेवा में स्वीकृत पदों की संख्या और इसके विभिन्न पदों के वर्गीकरण इस नियमावली की अनुसूची 1 में दिये गये विवरण के अनुसार होंगे परन्तु यह कि राज्य सरकार इससे अनुबद्ध अनुसूची 1 को आवश्यकतानुसार संशोधित कर सकेगी और इसमें दिखाये गये पदों की संख्या घटा-बढ़ा सकेगी या पदों की कोई भी संख्या स्थगितावस्था में रख सकेगी तथा कोटि में परिवर्तन ला सकेगी।

भाग 2

भर्ती

4. भर्ती के स्रोत—इस सेवा में भर्ती निम्नलिखित रीति से की जायेगी:-

(क) भाग 3 में विहित उपबन्धों के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा,

(ख) भाग 4 में विहित उपबन्धों के अनुसार प्रोन्नति द्वारा।

5. रिक्तियों का अवधारण एवं आयोग को इसकी सूचना—प्रत्येक पंचांग (कलेंडर) वर्ष के प्रारम्भ में सरकार उस वर्ष सीधी भर्ती और प्रोन्नति द्वारा भरी जानेवाली विभिन्न कोटि की रिक्तियों एवं उनके डिसिप्लीन को अवधारित करेगी और इसकी सूचना आयोग को दी जायेगी।

6. रिक्तियों का आरक्षण—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य वर्गों के लिये रिक्तियों का आरक्षण सरकार द्वारा समय-समय पर यथा विहित रीति एवं प्रक्रियानुसार किया जायेगा। संप्रति सीधी नियुक्ति में अनुसूचित जाति के लिये 14 प्रतिशत तथा अनुसूचित जन-जाति के लिये 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। इसी प्रकार पिछड़े वर्ग के लिये 12 प्रतिशत, अत्यन्त पिछड़े वर्ग के लिये 8 प्रतिशत, आर्थिक पिछड़े वर्ग के लिये 3 प्रतिशत तथा महिलाओं के लिये 3 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है।

भाग 3

सीधी भर्ती

7. आयोग द्वारा रिक्तियों की घोषणा—सेवा में सीधी भर्ती द्वारा भरी जानेवाली रिक्तियों की संख्या एवं पदों (डिसिप्लीन जैसा कि भाग 2 के नियम 5 में निहित है) को आयोग यथोचित रीति से जैसा वे उपयुक्त समझें विज्ञापित करेगा और सेवा में भर्ती के लिये पात्रता रखने वाले उम्मीदवारों से आवेदन-पत्र आमंत्रित करेगा। मंत्रित करेगा।

8. पात्रता—संवर्ग के प्रारम्भिक स्तर के पदों पर नियुक्ति के लिये उम्मीदवारों की पात्रता बिहार सेवा संहिता, 1962 के नियम 54 एवं इस नियमावली की अनुसूची 2 में विहित अर्हता के अनुसार अवधारित की जायेगी।

9. आयोग द्वारा उम्मीदवारों का चयन—आयोग मांगे गये सभी दुरुस्त आवेदनों-पत्रों पर विचार करेगी और यथोचित रीति से विचारोपरान्त उपयुक्त उम्मीदवारों की सूची तैयार करके उसे सरकार द्वारा यथानिर्धारित तिथि तक सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगा :

परन्तु यह भी कि इसके प्रयोजनार्थ आयोग द्वारा गठित अंतर्वीक्षा पर्षद (इंटरव्यू बोर्ड) की सहायता प्रदान करने के लिये राज्य सरकार के किसी पदाधिकारी को नाम निर्देशित कर सकेगी।

10. स्वास्थ्य परीक्षा—नियुक्ति के लिये चुने गए प्रत्येक उम्मीदवार को सरकार द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षा करानी होगी। जो उम्मीदवार पद के कर्तव्यों के कुशलतापूर्ण संपादन के लिये अपेक्षित शारीरिक स्वस्थता के संबंध में मेडिकल बोर्ड को संतुष्ट नहीं कर पायेंगे, वे नियुक्त नहीं किये जायेंगे।

भाग 4

प्रोन्नति द्वारा भर्ती

11. प्रोन्नति के माध्यम—(क) किसी भी पद पर प्रोन्नति ठीक इसके नीचे के पद के धारक पदाधिकारियों के बीच से दी जायेगी।

(ख) बिहार उद्योग सेवा के संयुक्त संवर्ग के पदाधिकारियों के बीच से वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर प्रोन्नति दी जायेगी।

(ग) संवर्ग के प्रारम्भिक स्तर पर प्रोन्नति सामान्यतया इस नियमावली में संलग्न अनुसूची 4 में वर्णित पद के उपयुक्त अर्हता रखनेवाले विभाग के पदाधिकारियों के बीच से वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर दी जायेगी।

12. सीधी नियुक्ति एवं प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति का अनुपात—(क) वेतनमान 1,000—1,820 रु० या समय-समय पर सरकार द्वारा यथादेशित पुनरीक्षित तत्स्थानी वेतनमान वाले सभी पदों पर सीधी नियुक्ति एवं प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति का अनुपात सामान्यतः पचास-पचास प्रतिशत होगा, परन्तु इस नियमावली के प्रभावकारी होने के प्रथम वर्ष में यदि सरकार संतुष्ट हो कि इस नियमावली के परिशिष्ट 4 में वर्णित पदाधिकारियों में से उपयुक्त एवं अर्हता प्राप्त पदाधिकारी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हों तो सरकार प्रोन्नति के उपर्युक्त अनुपात को बढा सकती है, जो किसी भी हालत में 75 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(ख) अन्य सेवाओं के लिये पूर्व निर्दिष्ट पदों को छोड़कर, वेतनमान 1,000—1,820 रु० के ऊपर वेतनमान वाले सभी वरीय पदों को संवर्ग के पात्र पदाधिकारियों, जिन्होंने अपेक्षित कालावधि पूरी कर ली हो, वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा।

13. योग्यता प्रदायी सेवा—उच्चतर पदों पर प्रोन्नति के लिये योग्यता प्रदायी सेवा (कालावधि) इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची 3 में वर्णित अवधि के अनुसार होगी।

14. सेवा के सदस्यों की सीधी भर्ती का अवसर—सीधी भर्ती से भरे जानेवाले उच्चतर पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने के इच्छुक बिहार उद्योग सेवा के कोई सदस्य सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त कर ऐसा कर सकता है, बशर्ते सामान्य जाति के उम्मीदवार की अधिकतम आयु 35 वर्ष और आरक्षित वर्ग के लिये 40 वर्ष से अधिक न हो।

15. प्रोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया—(i) विभागीय प्रोन्नति समिति अपेक्षित पात्रता रखनेवाले विभागीय पदाधिकारियों, जिनमें अन्य विभागों एवं लोक-उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए पदाधिकारी शामिल होंगे, के बीच से वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर पदाधिकारियों का चयन करेगी।

(ii) सरकार द्वारा समय-समय पर विहित आरक्षण सूत्र के अनुसार विभिन्न कोटि के पदों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवारों को उचितप्रतिनिधित्व प्रदान करने की दृष्टि से उनके मामले में न्यूनतम अर्हता, सेवा वर्ष आदि संबंधी मापदंड को सरकार शिथिल कर सकेगी।

(iii) नियमित संवर्ग के अस्थाई पदाधिकारी भी स्थाई पद पर प्रोन्नति के पात्र होंगे बशर्ते कि वे अपेक्षित अर्हता रखते हों, परन्तु ऐसे पदाधिकारी तबतक सम्पुष्ट या अगले उच्चतर पद पर प्रोन्नत नहीं किये जायेंगे या तीसरी वेतनवृद्धि के हकदार नहीं होंगे, जबतक कि वे राजपत्रित पद पर प्रथम नियुक्ति के तीन वर्षों के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हो जायें।

(iv) विभागीय प्रोन्नति समिति जिसका अध्यक्ष आयोग का अध्यक्ष या आयोग का कोई सदस्य होगा, प्रत्येक है उम्मीदवार के संबंध में सरकार को परामर्श देगी कि उसे जिस पद पर प्रोन्नति देने के लिए प्रस्ताव किया गया है उसके लिए उसमें अपेक्षित योग्यता एवं चरित्र है या नहीं।

(v) सरकार विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में प्रोन्नति के लिए पदाधिकारी का अंतिम चयन करेगी।

(vi) "भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार ही अनुमान्य होगी।"

भाग 5

परिवीक्षा एवं सम्पुष्टि

16. परिवीक्षा।—(क) मौलिक रिक्त पद के विरुद्ध नियुक्त होनेवाले प्रत्येक पदाधिकारी पद ग्रहण की तिथि से दो वर्षों की अवधि के लिए परिवीक्ष्यमान रहेगा :

परन्तु यह जिस अवधि में कोई व्यक्ति उक्त पद पर स्थानापन्न या अस्थाई तौर पर नियुक्त रहा हो उसका अधिक से अधिक दो वर्ष परिवीक्ष्यमान अवधि में गणना की अनुमति सरकार द्वारा दी जा सकती है।

(ख) परिवीक्षा अवधि पूरी करने पर सरकार पदाधिकारी को उसके पद पर सम्पुष्ट कर सकेगी अथवा उसका कार्य एवं चरित्र संतोषजनक नहीं पाये जाने पर उसकी सेवा समाप्त या उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकेगी परन्तु उसकी परिवीक्षा की कुल अवधि तीन वर्ष अतधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।

17. सम्पुष्टि।—इस नियमावली में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी परिवीक्ष्यमान रूप से नियुक्त पदाधिकारी परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन सेवा में स्थाई नियुक्ति का पात्र होगा:—

(क) उसमें संवर्ग नियमावली के प्रकाशन के पश्चात् बनाई जानेवाली विभागीय (प्रशिक्षण एवं परीक्षा) नियमावली के अधीन समय-समय पर विहित किया जानेवाला प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है और परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो चुका है :

(ख) इस अवधि में उसका आचरण एवं सेवा संतोषजनक रहा है, और

(ग) सरकार संतुष्ट हो कि वे ऐसी स्थाई नियुक्ति के योग्य हैं।

भाग 6

वेतन, दक्षतारोध, वरीयता

18. वेतन।—विभिन्न प्रवर्गों के पदों के वेतनमान अनुसूची I एवं अनुसूची II में दिये गए विवरण के अनुसार या समय-समय पर सरकार द्वारा पुनरीक्षित उनके समरूप वेतनमान के अनुसार होंगे। किसी भी वेतनमान में किसी पदाधिकारी के वेतन का निर्धारण सरकार द्वारा विहित प्रक्रियानुसार किया जायगा।

19. दक्षतारोध।—इस सेवा के सदस्य समय-समय पर यथासंशोधित बिहार सेवा संहिता, 1952 के नियमों के अनुसार दक्षता रोध पार करने के पात्र होंगे।

20. वरीयता।—(क) इस सेवा के सदस्यों की वरीयता समय-समय पर यथासंशोधित बिहार सेवा संहिता, 1952 के नियमों के अनुसार निर्धारित होगी।

(ख) किसी वेतनमान में एक साथ भर्ती किये गए सीधी भर्ती वाले पदाधिकारियों की आपसी वरीयता आयोग द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची के अनुसार निर्धारित की जायगी।

(ग) किसी कोटि के पद पर प्रोन्नति द्वारा नियुक्त सेवा के सदस्य उनके साथ उसी संव्यवहार में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्तियों से वरीय होंगे।

भाग 7

21. व्यावृत्ति:—इस नियमावली में अंतर्विष्ट किसी भी बात से पहले की जा चुकी नियुक्तियां या निर्गत किये गए आदेश प्रमाणित या अविधिमान नहीं होंगे और और ऐसी सभी नियुक्तियां तथा आदेश प्रवृत्त और विधिमान्य बने रहेंगे, मानों वे इस नियमावली के सुसंगत उपबन्धों के अधीन निर्गत किये गये हों।

बिहार उद्योग सेवा संवर्ग नियमावली, 1987

अनुसूची-1

बिहार उद्योग सेवा में स्वीकृत पद-बल

[(देखें नियम 3(ख)]

क्रम० सं०	पदों के पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पदों की संख्या
1-ए	अपर निदेशक (तकनीकी)	रु० 2,325—75—2,850	3
2-बी	संयुक्त उद्योग निदेशक	रु० 1,900—75—2,500	11
3-सी	उप-उद्योग निदेशक।औद्योगिक अर्थशास्त्री।विकास पदाधिकारी प्रिंसपल, रेशम महाविद्यालय।महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र।	रु० 1,575—50—1,775—75—2,300	67
4-डी	जिला उद्योग केन्द्रों के कार्यकारी प्रबंधक। उप मुख्य अभियंता सामान्य सुलभ सेवा केन्द्र।उप-विकास पदाधिकारी।	रु० 1,350—50—1,750—75—2,000	121
5-ई	परियोजना प्रबंधक (जि० उ० के०), योजना-सह-मूल्यांकन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदशक। संगठक-सह-सहायक।सहायक विकास पदाधिकारी। सहायक अभियंता।सामान्य सुलभ संस्थान।सहायक प्राध्यापक। कर्मशाला-प्रबंधक।प्राचार्य) तसर इंस्टीच्यूट।अनु-संधान पदाधिकारी।	रु० 1,000—50—1,700—द०रो०—60—1,620	187

नोट—उद्योग विभाग के अधीन निदेशक, तकनीकी विकास का एक स्वीकृत पद (वेतनमान रु० 2,600—100—3,200) (गैर संवर्गीय) रहेगा तथा इसपर सीधी नियुक्ति विहित रीति से बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से समय-समय पर की जायेगी।

अनुसूची-2

बिहार उद्योग सेवा नियमावली के अंतर्गत संवर्ग के प्रारंभिक स्तर (प्रवेश विन्दु) पर नियुक्ति के लिए अपरिहार्य योग्यता।

(देखें भाग 3 नियम 8)

1. वेतनमान 1,000—1,820 रु० वाले सभी पद।

2. अपेक्षित योग्यता .. .. संबंधित "डिसिप्लीन" में इंजीनियरिंग या टेकनोलोजी के किसी ब्रांच में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम-से-कम द्वितीय श्रेणी की डिग्री।

या

किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी के साथ आर्टस डिग्री।वाणिज्य डिग्री।चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स कास्ट एकाउन्टेंसी, विज्ञान-डिग्री, रेशम (सेरीकल्चर) डिग्री, व्यापार प्रबंधन डिग्री।

3. अनुभव .. .. .. प्रतिष्ठित औद्योगिक प्रतिष्ठान में 2 वर्षों का कार्यकारी अनुभव।

अनुसूची-3

प्रोन्नति के लिए कालावधि

(क) 1,000—1,820 रु० वेतनमान से 1,350—2,000 रु० वेतनमान में —5 वर्ष ।
(ख) 1,350—2,000 रु० वेतनमान से 1,575—2,300 रु० वेतनमान में —3 वर्ष ।
(ग) 1,575—2,300 रु० वेतनमान से 1,900—2,500 रु० वेतनमान में —3 वर्ष ।
(घ) 1,900—2,500 रु० वेतनमान से 2,325—2,850 रु० वेतनमान में —3 वर्ष ।
(ङ) 2,325—2,850 रु० वेतनमान से 2,600—3,200 रु० वेतनमान में —3 वर्ष ।

अनुसूची-4

वेतनमान 1,000—1,820 रु० वाले पदों प्रबंधक।सहायक निदेशक एवं समकक्ष अन्य पदों पर प्रोन्नति के लिए अधीनस्थ सेवा के पदाधिकारियों की सूची ।

(देखें भाग-4, नियम 11 (ग))

पदों के नाम	वेतनमान रु०
(क) 1. सहायक प्रबंधक (जि० उ० के०)	880—1,510
2. अधीक्षक, ग्रा० शि० प्र० केन्द्र।आदर्श कर्मशाला ।	880—1,510
3. उप-सूचना पदाधिकारी।तकनीकी पदाधिकारी।प्रशासकीय पदाधिकारी।विभाग के अनुसचिवीय संवर्गों से प्रशाखा पदाधिकारी या समकक्ष या उच्चतर पद ।	880—1,510
4. पाइलाट प्रोजेक्ट ऑफिसर (तसर)।फार्म सुपरिन्टेंडेंट (मलबरी)।एरी तसर। तसर इंस्टीच्यूट के व्याख्याता, रेशम-महाविद्यालय, भागलपुर ।	880—1,510
5. विभाग के अन्य समान पद	880—1,510
(ख) उद्योग विस्तार पदाधिकारी	940—1,660।850—1,360
(ग) अर्थ अन्वेषक।सांख्यिकी सहायक।पर्यवेक्षक	880—1,510—850—1,360

नोट—वेतनमान 1,000—1,820 रु० में सहायक निदेशकों (या समकक्ष) के 8 पद विभाग के अनुसचिवीय संवर्ग के लिए पूर्ववत निर्दिष्ट रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
के० आर० वॉल,
सचिव,
लघु, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग,
विभाग, बिहार, पटना ।

परिशिष्ट - 3

परिशिष्ट-3

बिहार उद्योग सेवा संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2002

<u>अधिसूचना</u>

जी०, एम 3268 भारत - संविधान के अनुच्छेद 309 के परतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार उद्योग सेवा संवर्ग नियमावली, 1987 के संशोधन हेतु निम्नलिखित संशोधन नियमावली बनाते हैं :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ:- (1.) यह नियमावली बिहार उद्योग सेवा संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2002. कही जा सकेगी।
(1) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य मे होगा।
(2) यह तुरत प्रवृत होगी।

बिहार उद्योग सेवा संवर्ग नियमावली, 1987 की अनुसूची -1 का प्रतिस्थापन :- बिहार उद्योग सेवा संवर्ग नियमावली, 1987 की अनुसूची-1 नोट सहित निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायगी :-

अनुसूची - 1
बिहार उद्योग सेवा में स्वीकृत पद-बल देखें नियम-3 (ख)

क०सं०	पदों के पद नाम	वेतनमान	स्वीकृत पदों की संख्या
1-ए	निदेशक, तकनीकी विकास	2600-100-3200 रुपये पुनरीक्षित. 16000-20000	1 (एक)
2-बी	अपर निदेशक (तकनीकी)	2325-75-2850	3 (तीन)
3-सी	संयुक्त उद्योग निदेशक	1900-75-2500	11 (ग्यारह)
4-डी	उप उद्योग निदेशक/औद्योगिक अर्थशास्त्री/विकास पदाधिकारी/प्राचार्य, रेशम महाविद्यालय/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	1575-50-1775-75-2300 रुपये	67 (सड़सठ)
5-ई	जिला उद्योग केन्द्रों के कार्यकारी प्रबंधक/उप मुख्य अभियंता सामान्य सुलभ केन्द्र/उप विकास पदाधिकारी	1350-50-1750-75-2000	121 (एक सौ इक्कीस)

कृ०पृ०उ०-२

क्र०सं०	पदों के पद नाम	वेतनमान	स्वीकृत पदों की संख्या
6-एफ	परियोजना प्रबंधक (जि०उ०कें०) योजना-सह-मूल्यांकन पदा० सहायक उद्योग निदेशक/संगठक सह सहायक/सहायक विकास पदा०/सहायक अभियंता (सामान्य सुलभ संस्थान)/ सहायक प्राध्यापक/कर्मशाला प्रबंधक/ प्राचार्य, तसर इंस्टीच्यूट/अनुसंधान पदाधिकारी	1000-50-1700 द० रो०- 60-1820	187 (एक सौ सत्तासी)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से

सचिव 14/9/02

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 3268 दिनांक 14.09.2002

3/उ० स्था० (नियुक्ति) 01/ 99

प्रतिलिपि:- अधीक्षक सरकारी प्रेस, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित। इसकी 1000 (एक हजार) अतिरिक्त मुद्रित प्रतियाँ विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराई जाय।

सचिव 14/9/02

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 3268 दिनांक 14.09.2002

3/उ० स्था० (नियुक्ति) 01/ 99

प्रतिलिपि:- सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/उद्योग विभाग के सभी पदाधिकारियों (मुख्यालय एवं क्षेत्रीय)/सभी प्रशाखा पदाधिकारियों/सभी क्षेत्रीय उद्योग निदेशालयों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिये अग्रसारित।

सचिव 14/9/02

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक–3/एम–1–10/2002 छाया खण्ड)......1867

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

अधिसूचना

संख्या-3/30 स्था0 प्रो0-42/2001 ...... भारतीय संविधान के परन्तुक द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार उद्योग सेवा संवर्ग नियमावली 1987 का संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

(1) संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरंभ

(i) यह नियमावली बिहार उद्योग सेवा संवर्ग संशोधन नियमावली-2007 कही जायेगी,

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा,

(iii) यह तुरत प्रवृत्त होगी।

(2) उक्त नियमावली-1987 के भाग IV के नियम 11(ख) में निम्न प्रकार जोड़ा जायेगा :- " ....प्रोन्नति के लिए अनुसूची-4 में उल्लिखित वर्ग "क", "ख", "ग" एवं "घ" के पदधारकों के बीच अनुपात 2:9:3:1 होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/-
(एस0 विजयराघवन)
प्रधान सचिव, उद्योग विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक:- 4624 दिनांक:- 1/10/07

प्रतिलिपि:- सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/महालेखाकार, बिहार/निदेशक, उद्योग/निदेशक(ह.रे.)/निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय/अन्य विभागीय पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार,
पटना

ज्ञापांक:- 4625 दिनांक:- 1/10/07

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ और इसकी 500 मुद्रित प्रतियां इस विभाग को भेजने हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार,
पटना

अपर सचिव, उद्योग विभाग,
बिहार, पटना।

D:\Industry Deptt\R B Pandit\Notification.doc

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

अधिसूचना

संख्या–3 / उ०स्था०(नियुवित्त / रोस्टर)07 / 06 । .... / भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बिहार के राज्यपाल बिहार उद्योग सेवा संवर्ग नियमावली, 1987 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ। –(1) यह नियमावली बिहार उद्योग सेवा संवर्ग(संशोधन) नियमावली, 2013 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरत प्रवृत होगी।

2. उक्त नियमावली, 1987 का नियम 8 एवं 9 क्रमशः निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे :–

"8 पात्रता – संवर्ग के प्रारंभिक स्तर (बेसिक ग्रेड) के पदों पर नियुक्ति की जाएगी तथा इसके लिये उम्मीदवारों की पात्रता इस नियमावली की अनुसूची–2 में विहित अहर्त्ता के अनुसार अवधारित की जाएगी। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होगी और अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय–समय पर, आरक्षण कोटिवार, विनिश्चित की जाय।"

"9 (क) संवर्ग के प्रारंभिक (Basic grade) में सीधी भर्त्ती के लिये बिहार लोक सेवा आयोग प्राप्त आवेदनों के अनुसार सभी अभ्यर्थियों की लिखित एवं मौखिक परीक्षा लेगा।

(ख) लिखित परीक्षा चार विषयों की होगी। विषयों के नाम, परीक्षा की अवधि तथा पूर्णांक निम्नलिखित सारणी के अनुसार होंगे :–

विषय	अविध	पूर्णांक
(i) सामान्य हिन्दी	तीन घंटा	100
(ii) अंग्रेजी	तीन घंटा	100
(iii) सामान्य ज्ञान	तीन घंटा	200
(iv) वैकल्पिक विषय	तीन घंटा	200 – निम्नलिखित विषयों में से कोई एक विषय :–

मैकेनिकल इंजीनियरिंग / इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग / सिविल इंजीनियरिंग / मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग या टेक्सटाईल इंजीनियरिंग या केमिकल इंजीनियरिंग या कम्प्यूटर इंजीनियरिंग / इलेक्ट्रोनिक्स एवं टेली कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग / अर्थशास्त्र / गणित / सांख्यिकी / भौतिकी विज्ञान / रसायन शास्त्र / व्यापार प्रबंधन / चार्टर्ड एकाउन्टेंसी / कॉस्ट एकाउटेंसी / लेदर टेक्नोलॉजी / रेशम टेक्नोलोजी / फार्मेसी।

(ग) सामान्य हिन्दी एवं अंग्रेजी की परीक्षा में 40 अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। इसके प्राप्तांक का प्रयोग मेधा सूची बनाने में नहीं किया जायेगा। लिखित परीक्षा की मेधा सूची सामान्य ज्ञान तथा एक वैकल्पिक विषय के प्राप्तांक को जोड़कर तैयार की जायेगी।

(घ) लिखित परीक्षा की मेधा सूची से रिक्तियों की संख्या का तीन गुणा अभ्यर्थियों को मौखिक परीक्षा (अन्तर्वीक्षा) के लिये बुलाया जायेगा।

(ङ) मौखिक परीक्षा का पूर्णांक 100 होगा।

(च) मौखिक परीक्षा के प्राप्तांक को उन अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा के सामान्य ज्ञान एवं वैकल्पिक विषय के प्राप्तांक को जोड़कर अंतिम मेधा सूची बनायी जायेगी। अंतिम मेधा सूची के प्राप्तांक की वरीयता के आधार पर नियुक्ति की अनुशंसा की जायेगी। प्रत्येक आरक्षित कोटि के लिये अलग–अलग सूची बनायी जायेगी।"

3. उक्त नियमावली, 1987 की अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 क्रमशः निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी :–

"अनुसूची–1

बिहार उद्योग सेवा संवर्ग में स्वीकृत पद बल

[देखें नियम 3(ख)]

क्र०	पदों का पदनाम	
1.	निदेशक(तकनीकी)	उक्त पदों की स्वीकृत संख्या एवं वेतनमान वही होंगे जो सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित किये जायेंगे।
2.	अपर निदेशक(तकनीकी)	
3.	संयुक्त उद्योग निदेशक	
4.	उप उद्योग निदेशक / औद्योगिक अर्थशास्त्री, तकनीकी विकास निदेशालय / महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र।	
5.	कार्यकारी प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र।	
6.	परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र।	

अनुसूची–2

बिहार उद्योग सेवा संवर्ग नियमावली के अधीन संवर्ग के प्रारम्भिक स्तर (प्रवेश बिन्दु) पर नियुक्ति के लिये अनिवार्य योग्यता वाले सभी पद।

1. पे० बैण्ड–9300–34800 रू०, ग्रेड पे०–4800 रू०

2. अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता :–

(i) मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग या मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग या टेक्सटाईल इंजीनियरिंग या केमिकल इंजीनियरिंग या कम्प्यूटर इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रोनिक्स एवं टेली कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग की किसी अन्य शाखा में कम से कम द्वितीय श्रेणी की या समकक्ष डिग्री।

(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र या गणित या सांख्यिकी या भौतिकी विज्ञान या रसायन शास्त्र में कम से कम द्वितीय श्रेणी की डिग्री।

या

(iii) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से एम०बी०ए० की डिग्री/डिप्लोमा।

या

(iv) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से फार्मेसी की डिग्री या समकक्ष योग्यता।

या

(v) इंस्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्स ऑफ इंडिया से प्राप्त मेम्बरशिप।

या

(vi) इंस्टीच्यूट ऑफ कॉस्ट एवं वर्क्स एकाउनटेन्ट ऑफ इंडिया का मेम्बरशिप।

या

(vii) रेशम तकनीकी/प्रबंधन में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) से मान्यता प्राप्त डिग्री या समकक्ष योग्यता।

या

(viii) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान/विश्वविद्यालय से लेदर टेक्नोलॉजी में डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–
(नवीन वर्मा)
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–
3/उ0स्था0(नियुक्ति/रोस्टर)07/06 I

पटना, दिनांकः–

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(नवीन वर्मा)
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

D:\Industry Dept\Sant Sinha\Original Bihar Industry Rule Amendment.doc

3)
463
217

ज्ञापांकः— पटना, दिनांकः—

3/उ0स्था0(नियुक्ति/रोस्टर)07/06 I

प्रतिलिपिः— प्रभारी पदाधिकारी, इ—गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सॉफ्ट कॉपी (सी०डीं० में) तथा दो हार्ड कॉपी में सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि इस अधिसूचना की 200 (दो सौ) मुद्रित अतिरिक्त प्रतियाँ उद्योग विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0/—
(नवीन वर्मा)
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः— 2019 पटना, दिनांकः— 9/6/14

3/उ0स्था0(नियुक्ति/रोस्टर)07/06 I

प्रतिलिपिः— सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/अपर सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना/निदेशक, तकनीकी विकास, बिहार, पटना/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण, बिहार, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, उद्योग विभाग/उद्योग विभाग के सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(signature) 9/6

(नवीन वर्मा)
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

9/6

(44) IT

D:\Industry Deptt\Sant Sinha\Original Bihar Industry Rule Amendment.doc